भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 71**

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

**<u>प्रतिस्पर्धा नीति</u>**

**71. श्री पी. विश्वनाथन:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नई प्रतिस्पर्धा नीति बनाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह प्रचालित वर्तमान प्रतिस्पर्धा नीति को अभिभावित करेगा;
(ग) राज्यों और स्थानीय निकायों की प्रतिस्पर्धा नीति का नई प्रतिस्पर्धा नीति किस प्रकार निगरानी या मार्गदर्शन करेगी;
(घ) क्या सरकार, सरकारी खरीद की स्वविवेक शक्तियों को खत्म करने के लिए पारदर्शी खरीद नीति पर भी विचार कर रही है और नई नीति में पी.डी.एस. योजना के अंतर्गत खरीद को शामिल करने पर विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) से (ग):** जी, हां, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को तैयार करना सरकार के विचाराधीन है।

**(घ) और (ड.):** सरकार ने मई, 2012 में लोक सभा में सार्वजनिक खरीद विधेयक, 2012 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता, बोलीकर्ताओं के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने, दक्षता एवं मितव्यता बढ़ाने और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा और आम भरोसा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई), केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्त और सांविधिक निकायों और खरीद करने वाली अन्य एनटिटियों के द्वारा की जाने वाली

सार्वजनिक खरीद को विनियमित करेगा। इस समय यह विधेयक वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

*****